न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 93/2014

1 भीमसिंह आयु 44 वर्ष पुत्र स्व. नित्यानन्द जाति अहीर पेशा खेती व नौकरी निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी मुख्य आरक्षक 145 बी एन सीमा सुरक्षा बल मण्डी मन्दिर पुंछ (जम्मु कश्मीर)

अपीलांट

बनाम

1 बृजुराम उर्फ बिरजलाल आयु 66 वर्ष पुत्र स्व. रामकरण जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 महेन्द्र सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. नित्यानन्द
3 अशोककुमार आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. हरफुल
4 अनिल कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र स्व. हरफुल
5 श्रीमती छोटी आयु 60 वर्ष पत्नी स्व. हरफुल जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6 मोहरसिंह आयु करीब 55 वर्ष पुत्र हरसाय
7 रामकरण आयु करीब 57 वर्ष पुत्र हरसाय
8 झुंथाराम पुत्र हरसाय
9 अमीलाल पुत्र प्रताप पौत्र हरसाय
10 मु. सन्तोष पत्नी दुर्गाप्रसाद
11 मु. प्रवीण पुत्री दुर्गाप्रसाद
12 विकास पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13 माडुराम पुत्र स्व प्रताप

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

14 किरोड़ीमल पुत्र स्व. प्रताप जाति अहीर निवासी निहालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
15 श्रीमती सुरजीदेवी पत्नी प्रताप जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
16 राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
17 उप पंजीयक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
18 भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अं. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू
दिनांक 19.10.2012 बमुकदमा उनवानी बृजुराम
उर्फ बिरजुराम बनाम भीमसिंह आदि दावा
घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
दावा संख्या 75/2012

उपस्थिति :

1. श्री जगदीशचन्द्र काजला, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—24-1-24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 75/2012 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1/वादी ने अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 व रेस्पोडेन्ट नं. 2 से 18/प्रतिवादीगण के खिलाफ जमीन हाल खसरा नम्बर 1103, हाल खसरा नम्बर 1118, हाल खसरा नम्बर 1119 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर वाके ग्राम बडबर तहत तहसील बुहाना के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना में दावा पेश किया। उक्त दावे को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने दिनांक 19.10.2012 के निर्णय व डिक्री से डिक्री किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी ने अपीलांट का सही पता अंकित नहीं किया है। गलत पते पर तामील भेजकर विचारण न्यायालय द्वारा तामिल मानकर एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 के विपरित होने से विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा न तो मूल रजिस्ट्री प्रस्तुत की गई है, न ही वादी की साक्ष्य हुई है, न ही दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेजों को विधि अनुसार साक्ष्य में पढा नहीं जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2007 एससी पेज 2025, आरआरटी 2023(1) पेज 375, आरएलडब्ल्यू 2004 आरजे पेज 80 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादी द्वारा न तो मूल रजिस्ट्री प्रस्तुत की गई है, न ही वादी की साक्ष्य हुई है, न ही दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेजों को विधि अनुसार साक्ष्य में पढा नहीं जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार पक्षकार की सम्यक तामील होना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्याय सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर